संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.2/अवि./सेल–विविध/2018/ **भोपाल, दिनांक / /2018**

//आदेश//

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ, में वर्ष 2008–09 से प्रारंभ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण कर योग्य आवेदको के आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ के आदेश क0/2008/11910–14 राजगढ,दिनांक 13.10.2008 के व्दारा श्री दीपक विजयवर्गीय सहा.ग्रेड–2,श्री एल.एन.कुम्भकार,सहा0ग्रेड–2,श्री आर.सी. पुष्पद,सहा0ग्रेड–2 एवं श्री भारत भूषण नामदेव,सहा.ग्रेड–3 को समिति का सदस्य बनाया गया एवं डा0 ऐ.के.मेहता,तत्कालीन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजगढ को उक्त छान–बीन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। छानबीन समिति व्दारा प्राप्त अभ्यावेदनो की स्कूटनी की जाकर, मेरिट सूची तैयार की गई। तैयार मेरिट सूची में गडबडी होने संबंधी शिकायत कलेक्टर जिला राजगढ को प्राप्त होने पर दिनांक 05.1.2009 को दूरभाष पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ से चर्चा की गई एवं छानबीन समिति व्दारा तैयार की गई सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ व्दारा दिनांक 05.1.2008 को कलेक्टर जिला राजगढ को प्रेषित की गई।

कलेक्टर जिला राजगढ व्दारा उक्त गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन की जांच अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की जाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन बाबत् आवेदन पत्रों की छानबीन समिति के सदस्यों व्दारा विभाग को प्रवंचित किया एवं बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि सहआरोपीगण के चयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक 444, 392, 386, 397, 37, 390, 399, 442, 23, 239, 241, 396, 440, 97, 100, 242, 84, 443, 28, 39, 34, 258, 578, 38, 395, 445, 393, 563, 298, 299, 441, 377, 562, स्वीकार न होने के वावजूद उन्हे स्वीकार योग्य होने संबंधी असत्य छानबीन कर चयन सूची तैयार की तथा छल किया गया है। प्रकरण में (1) डा0 ए0के0मेहता, तत्कालीन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी जिला राजगढ, (2) श्री दीपक वियजवर्गीय सहायक गेड–2, (3) श्री लक्ष्मीनाराण कुंम्भकार, लेखापाल (4) श्री भरतभूषण नामदेव सहायक ग्रेड–3 एवं (5) श्री रामचन्द्र पुष्पद लेखापाल की अनियमिततापूर्ण कृत्य कर अपात्रों को दुर्भिसंधिकर नियुक्ति का लाभ पहुचाने की संलिप्तता परिलक्षित/प्रमाणित हुई हैं। जांच उपरांत पाया गया कि चयन योग्य पात्र आवेदको को मेरिट सूची में सम्मिलित किया गया है,जिनकी अंकसूची प्रथम दृष्ट्या ही कूटरचित होना पाई गई, रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी कूटरचित होना पाया है।

कलेक्टर जिला राजगढ के पत्र क्रमांक/234/री–2/09/26.2.2009 व्दारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ को एफ.आई.आर.दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये,जिसके पालन मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ व्दारा एफ.आई.आर.दर्ज की गई। जिसमें डा0 अनिल मेहता,जिला शिक्षा अधिकारी,राजगढ,श्री लक्ष्मीनारायण कुंभकार,लेखापाल,श्री दीपक विजयवर्गीय सहायक ग्रेड–2,एवं श्री भारत भूषण नामदेव,सहायक वर्ग–3,एवं श्री रामचन्द्र पुष्पद,लेखापाल आदि के विरूद्ध अपराध क्रमांक/153/09/धारा,420,465,468,120–बी,भा.द.वि.दर्ज हुआ,प्रकरण में दिनांक 12.12.2014 को न्यायालय में चालाल पेश किया गया ।0

उक्त प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप छानबीन समिति के अध्यक्ष **(1) डॉ.ए.के.मेहता,तत्कालीन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी,राजगढ,(2) श्री लक्ष्मीनारायण कुम्भकार,लेखापाल (3)श्री दीपक विजयवर्गीय,सहायक ग्रेड–2 (4) श्री भारतभूषण नामदेव,सहायक ग्रेड–3,** को संचालनालय के आदेश दिनांक 19.10.2017 व्दारा निलम्बित किया गया।

निरंतर.....2

प्रकरण में कलेक्टर जिला राजगढ द्वारा उनके कार्यालयीन पत्र क0/256/प्रवाचक–2/09/राजगढ,दिनांक 06.03:2009 के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई,एवं कलेक्टर जिला राजगढ के आदेश क्रमांक/254/प्रवाचक–2/09/दिनांक 06.03.2009 के व्दारा श्री लक्ष्मीनारायण कुम्भकार को निलम्बित किया गया। श्री कुंभकार को कलेक्टर राजगढ व्दारा नियत समयावधि में आरोप–पत्र जारी नही किये जाने के फलस्वरूप श्री कुंभकार व्दारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में रिट याचिका क्रमांक 7017/2009 दायर कि गई जिसपर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 07.10.2009 को आदेश पारित किया गया,जिसके पालन में श्री कुंभकार व्दार न्यायालय कमिश्नर भोपाल सम्भाग भोपाल के समक्ष अपील प्र.क्र.16/2009–2010,दायर की गई। न्यायालय कमिश्नर भोपाल सम्भाग भोपाल व्दारा. दिनांक 15.11.2010 को आदेश पारित किया गया जिसके के बिन्दु क0–5,में कलेक्टर जिला राजगढ को प्रकरण इस निर्देशन के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि छान–बीन समिति के सभी सदस्यों तथा छानबीन समिति के प्रभारी के विरूद्ध वर्गीकरण नियम 18 के अंतर्गत नये सिरे से संयुक्त जांच/कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेशो के पालन में कलेक्टर जिला राजगढ व्दारा कार्यवाही नही की गई, वरन् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ के आदेश क्रमांक/स्था/2011/5533,दिनांक 26.3.2012 के व्दारा म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(20) विभागीय जांच संस्थित करते हुए डॉ.डी.पी.सिंह गहरवार,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय राजगढ को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया एवं डा0ओ.पी.गुप्ता,आर.एम.ओ.जिला चिकित्सालय राजगढ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया ।

उक्त जांचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संज्ञान में लाते हुए परीक्षण किया गया एवं परिक्षण उपरांत पाया गया कि –

1. अभ्यर्थियों के चयन हेतु छानबीन समिति व्दारा मेरिट सूची तैयार की गई है।
2. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की अंकसूचियां प्रथम दृष्ट्या ही कूटरचित होना पाई गई।
3. अभ्यर्थियों का जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी कूटरचित होना पाया है।
4. जिसे विभागीय जांच समिति के अध्यक्ष डा. डी.पी.सिंह गहरवार,तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय राजगढएवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी डा.ओ.पी.गुप्ता तत्कालीन आर.एम.ओ. जिला चिकित्सालय राजग व्दारा पूर्णतः अनदेखा किया जाकर (आरोपी) छानबीन समिति के सदस्यों को सेवापुस्तिका चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ के आदेश क्रमांक/स्थापना/2012/22379,राजगढ दिनांक 27.12.2012 व्दारा आदेश पारित किया गया जिसमें छानबीन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवापुस्तिका चेतावनी जारी करते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर श्री एल.एल.कुंभकार की निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजन हेतु मान्य की जाती है।
5. जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही अधिकारिता विहीन थी क्योंकि आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर राजगढ़ को निर्देशित किया गया था न कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को। इसके साथ ही सी.एम.एच.ओ. द्वारा छानबीन समिति के सदस्यों को सेवापुस्तिका चेतावनी का जो दण्ड दिया है वह किये गये अपराद्ध एवं घोर अनियमितता की दृष्टि से सही नहीं है। अतः स्पष्ट रूप से चयन समिति की अनुशंसा में घोर लापरवाही किया जाना परिलक्षित होता है।

निरंतर.....3

यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ जिला राजगढ, दाण्डिक प्रकरण में व्दारा दिनांक 12.2.2018 को पारित आरोप पत्र में यह उल्लेख किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन के बाबत् गठित आवेदनपत्रों की छानबीन समिति के सदस्यो/अध्यक्ष रहते हुए शासन स्वास्थ्य विभाग को प्रबंचित किया एवं बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया एवं सहआरोपीगण के चयन हेतु पस्तुत आवेदन पत्र कमांक **444, 392, 386, 397, 37, 390, 399, 442, 23, 239, 241, 396, 440, 97, 100, 242, 84, 443, 28, 39, 34, 258, 578, 38, 395, 445, 393, 563, 298, 299, 441, 377, 562,** स्वीकार न होने के वावजूद उन्हे स्वीकार योग्य होने संबंधी असत्य छानबीन कर चयन सूची तैयार की तथा छल किया गया है। प्रकरण में (1) डा0 ए0के0मेहता, तत्कालीन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी जिला राजगढ, (2) श्री दीपक वियजवर्गीय सहायक गेड–2, (3) श्री लक्ष्मीनाराण कुंम्भकार, लेखापाल (4) श्री भरतभूषण नामदेव सहायक ग्रेड–3 एवं (5) श्री रामचन्द्र पुष्पद लेखापाल की अनियमितापूर्ण कृत्य कर अपात्रों को दुर्भिसंधिकर नियुक्ति का लाभ पहुचाने की संलिप्तता परिलक्षित/प्रमाणित हुई हैं। जांच उपरांत पाया गया कि चयन योग्य पात्र आवेदको को मेरिट सूची में सम्मिलित किया गया है,जिनकी अंकसूची प्रथम दृष्ट्या ही कूटरचित होना पाई गई, रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी कूटरचित होना पाया है।

छानबीन समिति व्दारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन प्रकिया के दौरान छल से उक्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने में अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर आपराधिक षणयंत्र में शरीक हुए। उक्त के व्दारा ऐसा **अपराध किया जो भा.दं.सं.की धारा 420,465,468,120बी के अंतर्गत** दण्डनीय अपराध है,जो कि जिला न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

उल्लेखित प्रकरण में डा.डी.पी.सिंह गहरवार,तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय राजगढ के जांच प्रतिवेदन अधिकारिता विहीन तथ्यो के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने के कारण अमान्य करते हुए एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ व्दारा पारित आदेश कमांक/स्थापना/2012/22379,राजगढ दिनांक 27.12.2012 तत्काल प्रभाव से एतद् आदेश व्दारा निरस्त किया जाता है ।

(डॉ.पल्लवी जैन गोविल)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक.2/अवि./सेल–विविध/2018/450-K **भोपाल, दिनांक 24/04/2018**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतृः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
2. कमिश्नर भोपाल सम्भाग,भोपाल ।
3. क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं,भोपाल सम्भाग भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला राजगढ,म.प्र.0 ।
5. उप संचालक (सी.आर./शिकायत/लीगल),स्थानीय कार्यालय ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजगढ(व्यावरा)मध्यप्रदेश ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,राजगढ,म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश